

5/8/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय वारे/ अधिकारी/अन्य राजकार्य में तशीफ रखते है। पत्रावली वि 13/8/22 को पेश हो।

दिनांक.....13:8:22

आज सम्बन्धित न्यायालय से पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत/लोक अदालतमे पेश हुई। परिवादी व वादी अनुपस्थित। अभियुक्त व अभियुक्तगण/प्रतिवादी अनुपस्थित। पत्रावली मे कोई कर्पवाही नहीं हो सकी पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को नियत पेशी से पूर्व 25.8.22 भेजी जावे।

*[Signature]*  
अदलत

25.8.22  
अदलत

तालुक बिधिक सेवा समिति

तालुक बिधिक सेवा समिति

25/8/22

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस आपत्त नष्ट हुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7/9/22 को पेश है।

7/9/22


पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित है। प्रार्थना पत्र को अवलोकन किया। बहस प्रार्थना पत्र न-इ. में वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वरिष्ठ तथ्यों को देखाया। प्रार्थना पत्र की याचना में प्रार्थी द्वारा



तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

ताफैसला वाद वादी के पक्ष में इस आशय की डिप्ली चाही है कि प्रार्थना पत्र की धरणा संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी के पितामह दासी की जगह मेवा दर्ज किया जावे। तथा विवाहित भूमि का विभाजन किया जावे। बहल प्रार्थना पत्र 7-5 पर मनन किया। धारा 212 RA Act के तहत प्रार्थी द्वारा चाही गई याचना स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा चाही गई याचना धारा 212 RA Act के तहत मेन्टेनेबल नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नैनवां (बुन्दी)